[2020] 3 एससीसीआर 757

मूल बीमा कंपनी लि0

बनाम

नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन प्र0 लि0

(**सिविल अपील नं0 2016 का 10409**) **फरवरी 12,2020**

[**मोहन एम शांतनगौदर और आर 0 सुभाष रेड्डी, जे0 जे0**]

बीमा-निष्ठा बीमा-उत्तरदाता एक संपार्श्विक प्रबंधन कंपनी है जो ऋण देने वाले बैंको व अन्य संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में किसानों व्यापारियों आदि द्वारा गिरवी रखी गयी वस्तुओं का भण्डारण करती है। **गिरवी रखी गई वस्तुओं के किसी भी नुकसान के मामले में, प्रतिवादी** नुकसान की भरपायी करने के लिए **उत्तरदायी है।** प्रतिवादी ने गोदामों में संग्रहित गिरवी रखी गयी वस्तुओं के संबंध में अपीलकर्ता बीमा कम्पनी से निष्ठा गारण्टी बीमा पॉलिसी ली। तीन फर्मों ने उड़द और मेंथा तेल सहित वस्तुओं के भण्डारण के लिए प्रतिवादी के साथ समझौता किया। **उड़द और मेंथा तेल सहित वस्तुओं के भंडारण के लिए-उड़द को अनधिकृत रूप से गोदाम से हटा दिया गया-उत्तरदाता ने तेल को संभावित नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाए -601 बैरल तेल को दूसरे गोदाम में स्थानांतरित कर दिया गया-गुणवत्ता जांच पर, यह पता चला कि** बैरल में मेंथा तेल की जगह पानी डाला गया है। **अपीलकर्ता के साथ प्रतिवादी द्वारा दावा** दायर किया गया। **स्वीकार नहीं किया गया-राष्ट्रीय आयोग ने मेंथा तेल के नुकसान के लिए दावे की अनुमति दी लेकिन** जहां तक उड़द दाल का संबंध था वहां तक दावे को खारिज कर दिया गया। अभिनिर्धारित किया गया– निष्ठा गारण्टी आकस्मिकता गारण्टी से भिन्न है। प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सामान्य बीमा पॉलिसियों से भिन्न होती है– यह एक अनुबंध है जिसके तहत, एक विचार के लिए, किसी कर्मचारी या भरोसेमंद पद पर बैठे अन्य व्यक्ति की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या निष्ठा के उल्लंघन से होने वाले नुकसान के खिलाफ, कोई दूसरे को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत

होता है। विवादित आदेश पर मुख्य रूप से इस आधार पर हमला किया गया है कि प्रतिवादी अपने किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता को साबित करने में विफल रहा है, ऐसे में अपीलकर्ता पर कोई दायित्व नहीं हो सकता है– सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वयं ही भण्डारित 601 बैरल मेंथा आयल को हटाने में प्रतिवादी कर्मचारियों की संलिप्तता का संकेत देती है। **इसका एक विशिष्ट अवलोकन है कि उत्तरदाताओं सुरक्षा गार्ड ने मालिक को स्टॉक उठाने की अनुमति दी**– प्रतिवादी द्वारा दायर की गयी शिकायत में उसके कर्मचारियों की संलिप्तता के बारे में विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं– मेंथा आयल बैरल को पानी से बदलने में प्रतिवादी के कर्मचारियों और अन्य अनुमन्य कर्मचारियों की स्पष्ट भागीदारी है– आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं।

757 **सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट** [2020] 3 एससीसीआर

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने

अभिनिर्धारित किया कि– 1.1 **निष्ठा गारंटी आकस्मिकता गारंटी से अलग है। इसके तहत बीमा, ईमानदारी के लिए, लापरवाही के खिलाफ या अपने कर्मचारियों के प्रति वफादार और वफादार होने के लिए है। वहन की गई सुरक्षा सामान्य बीमा पॉलिसियों की तुलना में अलग है। यह एक अनुबंध है, जिसके तहत, एक विचार के लिए, एक दूसरे को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है , नुकसान के खिलाफ, एक कर्मचारी या विश्वास की स्थिति रखने वाले अन्य व्यक्ति की ईमानदारी, अखंडता या निष्ठा के उल्लंघन से उत्पन्न होता है।** निष्ठा गारण्टी की बीमा पॉलिसी को एक ऐसी पॉलिसी के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की ओर से निष्ठा की उल्लंघन की आकस्मिकता के खिलाफ आश्वासन दिया गया है जिस पर विश्वास रखा गया है। विवादित आदेश पर मुख्य रूप से इस आधार पर हमला किया गया है कि प्रतिवादी अपने किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता को साबित करने में विफल रहा है, ऐसे में अपीलकर्ता बीमा कम्पनी पर कोई दायित्व नहीं हो सकता है– गोदाम में 601 मेंथा आयल का गिरवी रखा हुआ माल रखा हुआ था। दिनांक 26.03.2009 की सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वयं प्रतिवादी कम्पनी द्वारा संग्रहित मेंथा तेल के बैरल को हटाने में प्रतिवादी कम्पनी के कर्मचारियों की संलिप्तता का संकेत देती है, दायर शिकायत

में प्रतिवादी कम्पनी के कर्मचारियों की संलिप्तता के बारे में विशेष आरोप लगाये गये हैं।

[पैरा 9,10] [762 ई-एफ; 762-एच; 763 एडी]

1.2 सर्वेक्षण रिपोर्ट में एक विशिष्ट अवलोकन है कि प्रतिवादी-कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने मालिक को स्टॉक उठाने की अनुमति दी थी। मेंथा तेल बैरल को पानी के साथ प्रतिस्थापित करने में प्रतिवादी और अन्य अनुबंध कर्मचारियों की स्पष्ट भागीदारी है। इसके अलावा , यह नहीं कहा जा सकता है कि दावा दर्ज करने में प्रतिवादी की ओर से कोई देरी है, जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि पॉलिसी की शर्त सं0–1 का उल्लंघन हुआ है।

[पैरा 11,13 और 14] [763 सीडी; 763 ई-एफ; 764 बी-सी]

भारतीय खाद्य निगम बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी

लिमिटेड और अन्य (1994) 3 एससीसी 324: [1994] 1 एससीआर 939;

गुरशिंदर सिंह बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी

लिमिटेड और अन्य (2020) 2 स्केल 473-को संदर्भित किया गया।

ब्लैक का लॉ डिक्शनरी-संदर्भित।

मूल बीमा कंपनी लि बनाम नेशनल बल्क हैंडलिंग निगम प्रा0लि0

केस लॉ संदर्भ [1994] 1 एससीआर 939 को पैरा 7 (2020) 2 स्केल 473 को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः सिविल अपील नं0 2016 की 10409

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के 22.06.2016 के निर्णय और आदेश से उपभोक्ता शिकायत सं0 2010 के 2

विष्णु मेहरा, अनंत एन0 मेहरोत्रा, सुश्री साक्षी मित्तल, सलाहकार। अपीलार्थी के लिए।

सी. यू. सिंह, सीनियर सलाहकार, पराग कंधार, सुश्री इति अग्रवाल, चंद्र प्रकाश, सलाहकार। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था

आर0 सुभाष रेड्डी, जे.

1- यह सिविल अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली, के समक्ष दायर उपभोक्ता वाद संख्या 2/2010 में विपरीत पक्ष द्वारा दिनांक 22 जून 2016 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर दायर की गयी है। उपर्युक्त शिकायत का निपटारा अक्षेपित आदेश द्वारा किया जाता है जिसमें अपीलकर्ता– विरोधी पक्ष को बीमा पॉलिसी के अनुसार प्रतिवादी–शिकायतकर्ता को 3,46,87,113/–रू0 की राशि 6 महीने से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ दावा दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

2- **बीमा-निष्ठा बीमा-उत्तरदाता एक संपार्श्विक प्रबंधन कंपनी है जो** ऋण देने वाले बैंको व अन्य संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में किसानों व्यापारियों आदि द्वारा गिरवी रखी गयी वस्तुओं का भण्डारण करती है। **गिरवी रखी गई वस्तुओं के किसी भी नुकसान के मामले में , प्रतिवादी** नुकसान की भरपायी करने के लिए **उत्तरदायी है। प्रतिवादी-संपार्श्विक प्रबंधन कंपनी** ने कई स्थानों पर गोदामों में संग्रहीत गिरवी वस्तुओं के संबंध में अपीलकर्ता–विरोधी पक्ष से निष्ठाा गारण्टी बीमा पॉलिसी ली थी।

3. तीन फर्मों अर्थात् एस. के. बिक्री निगम, नवभारत कमोडिटीज और नवभारत एग्रो प्रोडक्ट्स, ने प्रतिवादी शिकायतकर्ता के साथ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 3 एससीसीआर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर में अपने गोदाम में उड़द और मेंथा तेल सहित वस्तुओं के भंडारण के लिए समझौता हेतु प्रवेश किया। प्रतिवादी-कंपनी को उक्त वस्तुओं के लिए संपार्श्विक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसने अपने स्वयं के फील्ड कर्मचारियों के अलावा सुरक्षा एजेंसी से किराए पर लिए गए सुरक्षा गार्डों को तैनात किया है। पता चला है कि 06.11.2008 को, उड़द की संग्रहीत वस्तु को अनधिकृत रूप से गोदाम से हटा दिया गया था, जिसे एचडीएफसी बैंक को गिरवी रखा गया था, उसी की जांच के लिए अपने अधिकारियों की एक टीम भेजी। जांच एजेंसी की 16.11.2008 की रिपोर्ट में उधारकर्ताओं के साथ मिलकर प्रतिवादी के संबंधित कर्मचारियों द्वारा कुछ चूक और कमीशन का पता चला। उड़द के ऐसे अनधिकृत निष्कासन के बारे में पता चलने पर , प्रतिवादी ने तेल और गेहूं को और अधिक संभावित नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। 601 बैरल तेल को बाजपुर के एक गोदाम में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां एक गुणवत्ता जांच की गई। ऐसी गुणवत्ता की जाँच करने पर, प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चला कि मेंथा तेल को बैरल में पानी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके बाद , अपीलकर्ता के साथ प्रतिवादी द्वारा 08.11.2008 को दावा दर्ज किया गया था और आगे पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज की गई थी, जिस पर 19.11.2008 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

4. प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता के साथ एक दावा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वस्तुओं को कर्मचारियों के साथ मिलकर हटा दिया गया/प्रतिस्थापित किया गया जो कि उसके

द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई धोखाधड़ी का कार्य था। यह आरोप लगाया जाता है कि कर्मचारियों ने बैंकों और शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपराधिक विश्वासघात किया है। जब दावा स्वीकार नहीं किया गया , तो प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने 4,17,84,213/–रू0 (चार करोड़, सतरह लाख चौरासी हजार दो सौ तेरह रूपये) की राशि का दावा करते हुए राष्ट्रीय आयोग से व दावा किया। उक्त दावे में एच0डी0एफ0सी0 बैंक को देय 70,97,100/–रू0(सत्तर लाख सत्तानबे हजार एक सौ रूपये) की राशि के लिए उड़द के स्टाक का नुकसान और मेंथा आयल के स्टाक माल के लिए भारतीय स्टेट बैंक को देय 3,46,87,113/–रू0 (तीन करोड़, छियालिस लाख, सत्तासी हजार, एक सौ तेरह रूपये) का नुकसान शामिल था। उक्त दावे का अपीलकर्ता विरोधी पक्ष ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों और रिकार्ड पर रखी गयी अन्य प्रासंगिक सामग्री पर विचार करते हुए राष्ट्रीय आयोग ने, आक्षेपित आदेश द्वारा मेंथा तेल के नुकसान के लिए प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित 3,46,87,113/–रू0 (तीन करोड़, छियालिस लाख, सत्तासी हजार, एक सौ तेरह रूपये) के दावे की अनुमति दी, लेकिन साथ ही जहां तक उड़द का सवाल है, दावा खारिज कर दिया।

मूल बीमा कंपनी लि0 बनाम नेशनल बल्क हैंडलिंग निगम पीवीटी। लि0 [आर 0 सुभाष रेड्डी, जे.]

5. हमने श्री विष्णु मेहरा, विद्वान अधिवक्ता को अपीलकर्ता कम्पनी की ओर से उपस्थित होते हुए सुना है और श्री सी0यू0 सिंह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को प्रतिवादी शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित होते हुए, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील को, हमें मुख्य रूप से रिकार्ड पर मौजूद भौतिक स्थान और आक्षेपित आदेश के बारे में बताते हुए सुना है। तर्क दिया कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि कोई भी कर्मचारी 601 बैरल में पानी के साथ मेंथा आयल को हटाने या प्रतिस्थापित करने में शामिल है, जो गोदाम में संग्रहित था। यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच रिपोर्ट के अनुसार ही, सीलें बरकरार थीं, ऐसे में, सीलों में छेड़छाड़ के संबंध में किसी निष्कर्ष के अभाव में, प्रतिवादी–शिकायतर्का के दावे का कोई आधार नहीं है। आगे कहा

गया है कि बीमा अनुबंध शर्तों के अनुसार दावा तुरन्त दायर नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रतिवादी ने बीमा नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रीय आयोग ने मेंथा तेल के नुकसान के लिए 3,46,87,113/–रूपये के दावे को स्वीकार करने में गलती की जैसा कि प्रतिवादी–शिकायतकर्ता ने दावा किया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश में भी, राष्ट्रीय आयोग ने प्रतिवादी के किसी कर्मचारी का नाम नहीं लिया, जो कथित तौर पर मेंथा आयल को पानी से प्रतिस्थापित करने में शामिल है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपील की अनुमति देकर विवादित आदेश को रद्द किया जाना उचित है।

6. दूसरी ओर वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री सी0यू0सिंह ने अपीलकर्ता–कम्पनी की सर्वेक्षण रिपोर्ट और अन्य सामग्री का हवाला देते हुए कहा है कि अपीलकर्ता कम्पनी की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भी मेंथा आयल को कर्मचारियों की मिली भगत से उधारकर्ताओं द्वारा पानी के साथ हटा दिया गया था। इसके अलावां यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा की गयी शिकायत पर, वस्तु के मालिक जिन्होंने बैंक को माल गिरवी रखा है और प्रतिवादी के कर्मचारियों को धारा 420,406,405,415,427 भा0दं0सं0 के तहत आरोप पत्र दायर किया था जिस मामले की सुनवाई लम्बित है। **यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वयं प्रतिवादी के कर्मचारियों की भागीदारी को इंगित करती है** , क्योंकि ऐसा **दावा बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत दर्ज करने के बाद , जब दावा निरस्त किया जाता है, तो संशोधन के माध्यम से इस तरह के अस्वीकृति आदेश पर भी सवाल उठाया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि** जब उड़द और मेंथा तेल के संबंध में अक्षेपित आदेश को सम्पूर्ण रूप से पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट है कि गोदाम पर्यवेक्षक श्री नरेन्द्र यादव व सुरक्षागार्ड श्रीराम सिंह, मेंथा तेल को पानी से हटाने या प्रतिस्थापित करने में शामिल थे।

7. विद्वान अधिवक्ता ने हमें सर्वेक्षण रिपोर्ट में ले जाकर यह भी प्रस्तुत किया है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वयं उधारकर्ताओं के साथ–साथ प्रतिवादी के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने का संकेत देती है, इसलिए अपीलकर्ता के इस आरोप का कोई आधार नहीं है कि कर्मचारी शामिल नही थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 3 **एससीसीआर।**

यह प्रस्तुत किया गया है कि जब यह पता चला कि मेंथा तेल को पानी से बदल दिया गया था, तो सौ प्रतिशत नमूना लिया गया था जो 12 नवम्बर 2008 को पूरा हुआ और जांच रिपोर्ट 14 नवम्बर 2008 को प्रतिवादी–शिकायतकर्ता को सौंपी गयी और मामला शांत हो गया। 18 नवम्बर 2008 को बीमाकर्ता को सूचित किया गया, इस प्रकार पॉलिसी की शर्त संख्या 1 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने निष्ठा गारण्टी बीमा पॉलिसी को समझाते हुए भारतीय खाद्य निगम बनाम न्यू इण्डिया कं0 लि0 और अन्य के मामले में अदालत के फैसले पर भरोसा जताया है! और गुरशिंदर सिंह बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कं0 लि0 व अन्य के मामले में इस अदालत का 24 जनवरी 2020 का हालिया फैसला।

8. दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और आक्षेपित आदेश और रिकार्ड पर रखी गयी अन्य सामग्री के अवलोकन पर, हमें अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिये गये किसी भी तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली। उपरोक्त प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये निर्णय, हालांकि बीमा दावों से संबंधित हैं लेकिन उपरोक्त निर्णयों में तय किये गये मुद्दों का इस मामले में विचार के लिए उठने वाले मुद्दों पर कोई सीधा संबंध नहीं है।

9. **यह विवाद में नहीं है कि निष्ठा गारंटी के लिए बीमा पॉलिसी प्रासंगिक समय के दौरान लागू थी, जो प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त की गई थी। निष्ठा गारंटी आकस्मिकता गारंटी से अलग है। इसके तहत बीमा, ईमानदारी के लिए, लापरवाही के खिलाफ या अपने कर्मचारियों के प्रति वफादार और वफादार होने के लिए है। वहन की गई सुरक्षा सामान्य बीमा पॉलिसियों की तुलना में अलग है।** बहुमूल्य रूप से यह एक सम्पर्क है जहां एक विचार के लिए कोई व्यक्ति विश्वास के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले नुकसान के खिलाफ दूसरे को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत होता है। **ब्लैक के लॉ डिक्शनरी में, निष्ठा बीमा को निम्नानुसार समझाया गया हैः**

"**निष्ठा बीमा**-बीमा का रूप **जिसमें** बीमा बीमित व्यक्ति के किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी की निष्ठा की गारंटी देता है या बेईमानी से या ऐसे व्यक्ति की ओर से निष्ठा की कमी के कारण हुए

नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है। इस प्रकार निष्ठा गारंटी की बीमा पॉलिसी को उस व्यक्ति की ओर से निष्ठाा के उल्लंघन की आकस्मिकता के खिलाफ बीमित व्यक्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से एक पॉलिसी के रूप में घटक माना जाता है जिस पर विश्वास रखा गया है। ((1994) 3 एससीसी 324)

2 सी. ए. नं0 2020 का 653

मूल बीमा कंपनी लि। वी। नेशनल बल्क हैंडलिंग

निगम पीवीटी। लि। [आर। सुभाष रेड्डी, जे.]

10. लगाए गए आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी प्रतिवादी-कंपनी के किसी भी कर्मचारी की भागीदारी को साबित करने में विफल रहा है , जैसे कि, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी पर कोई दायित्व नहीं हो सकता है। यह विवाद में नहीं है कि 601 बैरल मेंथा तेल का गिरवी माल गोदाम में संग्रहीत किया गया था। 26.03.2009 की सर्वेक्षण रिपोर्ट, स्वयं उत्तरदाता द्वारा संग्रहीत 601 बैरल मेंथा तेल को हटाने में प्रतिवादी-कंपनी के कर्मचारियों की भागीदारी को इंगित करती है । शीघ्र ही सौ प्रतिशत सैम्पलिंग के तुरन्त बाद यह खुलासा हुआ कि सभी बैरलों मे मेंथा आयल की जगह पानी डाला गया था जिसकी शिकायत प्रतिवादी–शिकायतकर्ता ने 18.11.2008 को गदरपुर पुलिस स्टेशन में की थी। शिकायत फाइल में प्रतिवादी कंपनी के कर्मचारियों की संलिप्तता के बारे में विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं।

11. सर्वेक्षण रिपोर्ट में एक विशिष्ट अवलोकन है कि प्रतिवादी-कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने श्री संजीव छाबड़ा (मालिक) को स्टॉक उठाने की अनुमति दी थी। प्रतिवादी-कंपनी द्वारा पुलिस को की गई शिकायत का उल्लेख करते हुए, मालिकों के साथ-साथ कर्मचारियों अर्थात् श्री नरेंद्र सिंह यादव, जो वेयरहाउस पर्यवेक्षक, क्लस्टर प्रमुख श्री अनिल सक्सेना, वेयरहाउस कार्यकारी थे, के खिलाफ भारतीय दंड

संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। यदि पूरी सामग्री को ध्यान में रखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि मेंथा तेल बैरल को पानी के साथ प्रतिस्थापित करने में प्रतिवादी और अन्य अनुबंध कर्मचारियों के कर्मचारियों की स्पष्ट भागीदारी है। अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया कि निरीक्षण के दौरान, सील बरकरार पायी गयी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सौ प्रतिशत नमूने से साबित हुआ कि सभी बैरल जो पहले मेंथल तेल से भरे हुए थे उन्हें पानी से बदल दिया गया।

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक और तर्क दिया गया कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई, इस प्रकारी यह बीमा अनुबंध की शर्त संख्या 1 का उल्लंघन है। आक्षेपित आदेश और रिकार्ड पर रखी गयी अन्य सामग्री से यह स्पष्ट है, जब यह प्रतिवादी के ध्यान में आया कि बैरल में पानी द्वारा मेंथा तेल का प्रतिस्थापन किया गया था, तो प्रतिवादी ने बैरल से निकाले गये नमूनो को भेजकर सौ प्रतिशत नमूना लिया। प्रयोगशाला में इस तरह का नमूना केवल 12 नवम्बर 2008 को पूरा किया गया था और जांच रिपोर्ट 14 नवम्बर 2008 को प्रतिवादी कम्पनी को सौंपी गयी थी। (**सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट** [2020] 3 **एससीसीआर**)। इससे पहले प्रतिवादी को सभी बैरलों में पानी द्वारा प्रतिस्थापित मेंथल तेल के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद 18.11.2008 को अपीलकर्ता के समक्ष दावा दायर किया गया था।

13. मामले को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी की ओर से दावा दायर करने में कोई देरी हुई है, जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि पॉलिसी की शर्त संख्या 1 का उल्लंघन हुआ है।

14. उपरोक्त कारणों से और आक्षेपित आदेश में दर्ज निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिससे इसमें हस्तक्षेप किया जा सके। तद्नुसार, लागत के संबंध में कोई आदेश दिये बिना अपील खारिज की जाती है।

दिव्या पांडे अपील खारिज।